NeuSource STARTUP MINDS®
HELPING STARTUPS TO START

प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने से लेकर चलाने तक: एक विस्तृत गाइड

A Comprehensive Guide to Forming and Managing a Private Limited Company

निजी सीमित कंपनी को कम से कम दो लोगो द्धारा बनाया जा सकता है, जिसमे उनकी जिम्मेदारी सीमित होती है, ऐसी कंपनियों के शेयर बाजार में नहीं बेचे जा सकते।

We Help Startups to Start...

"एक स्टार्टअप के लिए प्राइवेट लिमिटेड फॉर्मेट से बेहतर कुछ भी नहीं, अगर आपके मन में कोई धांसू स्टार्टअप के आइडिया की खिचड़ी पक रही है, तो उसे जमीन पर उतारने का सबसे बढ़िया तरीका है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का Format। ये वाला Format ऐसा है जैसे क्रिकेट में धोनी का हेलिकॉप्टर शॉट। क्यों? क्यों, क्योंकि यहाँ आपके बटुए पर जरा भी आंच नहीं आएगी, यानी कि अगर कंपनी कर्ज में डूब भी जाए, तो आपकी पर्सनल संपत्ति सेफ रहेगी, उस पर कोई हाथ नहीं लगा सकता और तो और, जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलेंगे, तो बाजार में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। इससे निवेशक आपको सीरियसली लेंगे और फंडिंग में आसानी होगी। आपके पास पैसे जुटाने के लिए शेयर बाजार का भी रास्ता खुल जायेगा। इससे आपके स्टार्टअप का इंजन फुल स्पीड में दौड़ सकता है। इसमें और भी बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं जैसे कि अगर आपको कभी लगे कि अब बिजनेस से ब्रेक लेना है या किसी और को जिम्मेदारी सौंपनी है, तो शेयर्स ट्रांसफर करना मामूली सी बात है। मतलब, कंपनी की बागडोर आसानी से किसी और के हाथ में दी जा सकती है, बिना किसी झंझट के और सबसे बड़ी बात, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंपनी का अस्तित्व इसके मालिकों से अलग होता है मतलब कंपनी चलती रहेगी, चाहे मालिक बदलते रहें। ये ऐसा है जैसे क्रिकेट टीम के कप्तान बदलते रहें पर टीम तो अपना खेल खेलती रहेगी। तो फिर देर किस बात की? अपने स्टार्टअप का इंजन स्टार्ट करिए और निकल पड़िए प्राइवेट लिमिटेड बनाने की राह पर"

HEMANT GUPTA

Index

निजी सीमित कंपनियों को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह अपनी वित्तीय जानकारी सार्वजनिक नहीं करनी होती, ये कंपनियां स्वायत्तता और गोपनीयता का लाभ उठा सकती हैं।

- अन्य प्रारुप के साथ तुलना (Comparison with Other Format)
- एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रुप में निगमन (Incorporation as a Private Limited Company)
- फायदे और नुकसान (Advantage & Disadvantage)
- महत्वपूर्ण शब्दों को जाने (Important Terms Need to Know)
- अनुपालन (Compliances)
- नाम में परिवर्तन (Change of Name)
- पते में परिवर्तन (Change of Address)
- निदेशकों में परिवर्तन (Change of Directors)
- उद्देश्यों में परिवर्तन (Change of Objectives)
- पूंजी में परिवर्तन (Increase of Authorized capital & Share Transfer)
- कंपनी को बंद करना (Windup)

Comparison with Other Format

निजी सीमित कंपनी का स्थापना प्रक्रिया जटिल हो सकती है, लेकिन दीर्घकालिक लाभ इसे सार्थक बनाते है

बिजनेस की दुनिया में कदम रखते ही सबसे पहली पहेली ये होती है कि कौन सा फॉर्मेट चुनें। बात करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, तो ये वो शानदार ऑप्शन है जो बिजनेस की गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ाता है। क्यों? क्योंकि यहां जोखिम की सीमा तय है। मतलब कंपनी में अगर कुछ समस्या हो जाए तो आपकी जेब पर असर नहीं पड़ेगा, और तो और, पैसा जुटाने और धंधे को फैलाने में भी ये बढ़िया है। वहीं अगर बात करें प्रोप्राइटरशिप की, तो ये तो बिजनेस की दुनिया का वो रिक्शा है जिसे आप अकेले ही खींचते हैं, सीधी-साधी और किफायती, लेकिन ध्यान रहे, इसमें जोखिम भी आपके अपने कंधों पर है। फिर आती है पार्टनरशिप, इसे समझिए जैसे दो या दो से ज्यादा दोस्त मिलकर अपना धंधा खोल लें। यहां भी निजी जोखिम है, लेकिन हाथ बंटाने वाले ज्यादा हैं, और हां, इसका एक नया वर्जन है LLP, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यहां आपकी जेब सेफ है, मतलब व्यक्तिगत रूप से आप पर कोई आंच नहीं आती। बात करें OPC की, तो ये बिजनेस की दुनिया का वो नया खिलाड़ी है जो अकेले अपनी पारी खेलता है, लेकिन जोखिम उसके निजी सामान पर नहीं आता, एकदम तगड़ा ऑप्शन है अकेले खिलाड़ियों के लिए। सेक्शन-8 कंपनी जो समाज सेवा का झंडा गाड़ती है, ये न लाभ कमाने के लिए होती हैं, न पैसे बनाने के लिए। इनका काम होता है समाज कल्याण के लिए कुछ कर गुजरना और अंत में पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो बिजनेस की दुनिया की राजा होती है, यहां पूंजी जुटाने की कोई सीमा नहीं, बड़े खिलाड़ी, बड़े मैदान के लिए। ये सब बिजनेस के अलग-अलग चेहरे हैं। हर एक की अपनी खूबी, अपनी खामी।
चुनिए समझदारी से, क्योंकि बिजनेस की राह में यही तो सबसे बड़ा फैसला है

1 Private Limited Vs One Person Company

प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 लोगो का होना जरूरी है, लेकिन OPC में एक ही व्यक्ति सब कुछ संचालित कर सकता है। दोनों में लायबिलिटी सीमित होती है, मतलब कि आपकी व्यक्तिगत संपत्ति कंपनी के कर्जों से सुरक्षित रहती है अगर आपके पास अपनी पूंजी है और व्यवसाय में अकेले का नियंत्रण चाहते है, तो OPC आपके लिए ठीक हो सकती है। लेकिन, अगर फंडिंग की दरकार है, तो प्राइवेट लिमिटेड ही उचित है क्यूंकि ये इन्वेस्टर्स की पहली पसंद है।

2 Private Limited Vs Public Limited Company

'Private Limited' में शेयरहोल्डर्स की संख्या 2 से 200 तक होती है। इसमें बाहरी लोगों को शेयर नहीं बेचा जा सकता और इसमें अधिक गोपनीयता होती है। वहीं 'Public Limited' ही कंपनी में शेयरहोल्डर्स की संख्या 7 से शुरू होती है और इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं होती, लेकिन इसके साथ आती है अधिक पारदर्शिता और जांच-पड़ताल की जरूरत। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी की जानकारी गोपनीय रहे तो 'Private Limited'। लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पर पैसा जुटाना चाहते हैं और अधिक पारदर्शिता से काम कर सकते हैं, तो 'Public Limited' आपके स्टार्टअप के लिए सही विकल्प हो सकता है 'Private Limited' में शेयरहोल्डर्स की संख्या 2 से 200 तक होती है। इसमें बाहरी लोगों को शेयर नहीं बेचा जा सकता और इसमें अधिक गोपनीयता होती है। वहीं 'Public Limited' ही कंपनी में शेयरहोल्डर्स की संख्या 7 से शुरू होती है और इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं होती, लेकिन इसके साथ आती है अधिक पारदर्शिता और जांच-पड़ताल की जरूरत। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी की जानकारी गोपनीय रहे तो 'Private Limited'। लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पर पैसा जुटाना चाहते हैं और अधिक पारदर्शिता से काम कर सकते हैं, तो 'Public Limited' आपके स्टार्टअप के लिए सही विकल्प हो सकता है।

3 Private Limited Vs Section-8 Company

प्राइवेट लिमिटेड के लिए Profit बनाना मुख्य उद्देश्य होता है। जबकि Section-8 कंपनी का मुख्य उद्देश्य लाभ नहीं, बल्कि समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। यह NGOs और Welfare Organizations के लिए ज्यादा उपयुक्त है। इसे बनाने के बाद कुछ Tax बेनिफिट्स भी मिलते हैं, अगर आपका उद्देश्य पैसा कमाना है और व्यापार बड़ा करना है, तो Private लिमिटेड, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो और आपका स्टार्टअप समाज के लिए कुछ करे, तो Section-8।

4 Private Limited Vs Limited Liability Partnership

शुरुआती खर्च की बात करें तो LLP में कम खर्च होता है, जबकि Pvt Ltd को शुरू करने में ज्यादा पैसा और समय लगता है। Pvt Ltd में शेयरहोल्डर्स होते हैं, जबकि LLP में Partners। अगर भविष्य में बिजनेस का विस्तार की बात हो तो Pvt Ltd ज्यादा उपयुक्त साबित होती है, हालांकि LLP को संचालित करना Pvt Ltd की तुलना में ज्यादा आसान है। ज्यादातर प्रोफेशनल्स सर्विस प्रोवाइडर LLP का चुनाव करते हैं।

Incorporation as a Private Limited Company

निजी सीमित कंपनी होने का मतलब है जोखिम को सीमित करना और संभावनाओं को विस्तार देना

कंपनी फार्मेशन करके आप अपने बिज़नेस को एक अलग कानूनी शख्सियत बना सकते हैं पर इसके फार्मेशन में झंझट भी खूब है। सबसे पहले कंपनी का नामकरण करना और उसे Approve करवाना, DIN, DSC बनाना, MOA और AOA तैयार करना, फिर कंपनी का पता और निदेशकों की जानकारी वगैरह वगैरह। ये सब जरूरी होता है, नहीं तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। हाँ एक बार कंपनी बन गयी तो कंपनी को लोन और फंडिंग मिलने में भी आसानी होती है। बैंक वाले भी खुश और बिजनेस वाले भी। लेकिन इसमें सब कुछ अच्छा अच्छा ही नहीं होता। इसके अपने नियम कानून भी बड़े कड़क होते हैं। हर साल अपने खातों का हिसाब किताब दिखाना, ऑडिट वगैरह। बस समझ लो, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखना होता है। वैसे सही मायनो में ये एकदम धाकड़ स्टेप होता है, जो आपके बिजनेस को सिक्योर भी रखता है और उसकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ाता है। थोड़ी मेहनत और लागत तो लगती है, पर लंबे समय में ये फायदेमंद साबित होती है। अगर आप भी अपने बिजनेस को नई ऊँचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो ये राह जरूर आजमाइए

1 Name Reservation

कहते हैं कि एक अच्छा नाम ही पहला कदम है सफलता की ओर। अब, जब आप अपने बिज़नेस की सोच रहे हैं, तो उसका नाम भी तो होना चाहिए जो बाजार में चर्चा में आए। परन्तु, यहाँ एक Twist है। आपका चुना हुआ नाम पहले से किसी और के पास नहीं होना चाहिए। तो पहली प्रक्रिया है अपने बिज़नेस का नाम रिजर्व करवाना, जिसे आप बाद में उसे अपनी कंपनी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

2 Acquire DIN & DSC

आप बिज़नेस की दुनिया में नए हैं और आपकी पहचान अभी बननी है। यह पहचान आपको DIN (Director Identification Number) के जरिए मिलती है। यह एक Unique नंबर है जिसे किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए प्राप्त करना होता है। और DSC (Digital Signature Certificate) आपके डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं। इस ज़माने में, जहाँ सब कुछ डिजिटल हो रहा है, आपके पास डिजिटल हस्ताक्षर होना चाहिए जिससे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी Incorporation के विभिन्न Documents पर हस्ताक्षर कर सकें।

3 Prepare Documentation

एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो तैयार करना हो हे वो हे MOA और AOA, MOA में आपकी कंपनी का मुख्य उद्देश्य होता है, जबकि AOA में कंपनी के आंतरिक नियम और विधियाँ होती हैं सभी प्रोमोटर्स के पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ और फोटो भी तैयार रखनी होगी साथ में कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के प्रूफ के तौर पर रेंट एग्रीमेंट और Owner NOC भी चाहिए होगी।

4 Incorporation Certificate

जब सभी डॉक्यूमेंट सही तरीके से बना कर MCA पोर्टल पर With प्रोफेशनल DSC & Stamp duty, फाइल कर दिए जाते है तो ३-४ दिनों के भीतर, आपके हाथ में आता है आपके सपनों का प्रमाणपत्र जिसे कहते हैं Incorporation Certificate. इसके साथ नोट करने वाली बात ये भी है की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के साथ कुछ चीजें खुद ब खुद मिल जाती हैं जिसमे शामिल है कंपनी का बैंक खाता, पीएफ और ईएसआई पंजीकरण, पैन और टैन, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन इत्यादि।

Advantage & Disadvantage

यह संरचना निवेशकों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन साथ ही उन्हें उच्च लाभांश और पारदर्शिता की अपेक्षा भी होती है

निजी सीमित कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के चक्कर में पड़ने से पहले, जरा इसकी ABCD समझ लेते हैं। बात करें फायदे की, तो भाई साहब, पहला तो यही है कि आपकी निजी संपत्ति सुरक्षित रहती है। दूसरा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है यानी आपकी कंपनी एक्सपर्ट्स के हाथों में होती है, जो बिज़नेस को आगे बढ़ाने का दमखम रखते हैं। तीसरा, यह कंपनी आप के ना होने पर भी चलती रहेगी। अब जहां फायदे हैं, वहां नुकसान भी तो होंगे, सबसे बड़ा झंझट है इसे शुरू करने का। कागजी कार्यवाही, रजिस्ट्रेशन, लेखा-जोखा, ऑडिट - ये सब न सिर्फ झंझट बढ़ाते हैं, बल्कि खर्चे भी बढ़ाते हैं। फिर आता है पारदर्शिता का मामला। यानी आपको अपने हर एक पैसे का हिसाब किताब साफ-साफ रखना होगा। नहीं तो, सरकार की नजरें तिरछी हो जाएंगी। इसके अलावा, शेयरों को बेचने में भी बंदिशें होती हैं। आप चाह कर भी आसानी से अपने शेयर हर किसी को बेच नहीं सकते और हां, अगर आप सोच रहे हैं कि बड़े फैसले आप अकेले ले लेंगे, तो भूल जाइए। इसमें हर बड़े फैसले के लिए शेयरधारकों की मंजूरी चाहिए होती है, जिससे कई बार फैसले लेने में देरी होती है। इन सबके बावजूद, निजी सीमित कंपनी खोलना एक स्टार्टअप के बहुत फायदेमंद होता है क्यूंकि, चाहे वो इन्वेस्टर हो या बैंकर हो, एम्प्लोयी हो या कस्टमर सब भरोसा करते हैं इस पर, तो, अगर आप इस रास्ते पर चलने का मन बना रहे हैं, तो पूरी तैयारी के साथ चलिए। फायदे भी हैं, पर चुनौतियां भी कम नहीं। हाँ इसलिए, हर पहलू पर गौर करके, संतुलित फैसला लेना जरूरी है। आखिर, बिज़नेस में किस्मत के साथ-साथ, सही रणनीति और सोच-समझ कर कदम उठाना भी जरूरी है

1 Limited Shareholder Liability

शेयरहोल्डर की जिम्मेदारी सिर्फ उनके निवेश किए गए पैसों तक ही सीमित होती है। अगर कंपनी डूबती है, तो शेयरहोल्डर का सिर्फ निवेश किया हुआ ही पैसा डूबता है यानि कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपकी व्यक्तिगत संपत्ति कंपनी के क़र्ज़ों से सुरक्षित रहती है। अगर कंपनी का नुकसान होता है, तो आपकी व्यक्तिगत संपत्ति को कोई नुकसान नहीं होगा।

2 Easy Funding

प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए निवेशकों को आकर्षित करना आसान होता है, क्योंकि सीमित जिम्मेदारी, कानूनी मान्यता (कंपनी एक व्यक्ति की तरह खुद से समझौते कर सकती है, संपत्ति खरीद सकती है), स्वामित्व नियंत्रण (वे कंपनी के शेयरहोल्डर बन कर कंपनी के प्रबंधन निर्णयों में हिस्सा ले सकते हैं), और सार्वजनिक विश्वास जैसे कारण निवेशकों को ये भरोसा दिलाते है कि उनका निवेश सुरक्षित और लाभकारी होगा।

3 Regulation Burden

कंपनियों के कानून, 2013 के अनुसार, आपको नियमित अंतराल पर अपनी वित्तीय रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों को सरकार के साथ साझा करना पड़ता है और अगर आप कॉम्प्लायंस में लापरवाही करते हैं, तो आपको भारी जुर्माने और दंडों का सामना करना पड़ सकता है। हर साल, आपको एक ऑडिटर को नियुक्त करना होता है जो आपकी कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड्स की जाँच करता है और फिर उस ऑडिट की रिपोर्ट सरकार को देता है। इससे आपको अतिरिक्त लागत और जटिलता का सामना करना पड़ता है।

4 Risk of Ownership Control

प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयरहोल्डरस की संख्या सीमित होती है, यानी कुछ ही लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे होते हैं। जिसके पास ज्यादा शेयर्स होंगे, उसकी वोटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी ऐसे में दूसरे शेयरहोल्डरस का नुकसान हो सकता है क्योंकि वो जो कुछ भी चाहते हैं, वो कंपनी से नहीं करवा सकते हैं, इससे अकसर शेयरहोल्डरस के बीच में मान-सम्मान की जंग हो सकती है, इससे कंपनी का प्रशासन करना बहुत मुश्किल हो सकता है।

Important Terms Need to Know

पहले शब्दों को समझो, फिर विषय को, जब शब्द स्पष्ट होते हैं, तब ज्यादा समझ आता है

जब हम "निजी सीमित कंपनी" की बात करते हैं, तो कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका अक्सर इस्तेमाल होता है और जिनके बारे में जानना जरूरी है। इन शब्दों को समझना काफी उपयोगी होता है, खासकर अगर आप व्यापार या कंपनी के क्षेत्र में नए हैं। सबसे पहले, "Shareholder" शब्द है। ये वो लोग होते हैं जिनके पास कंपनी के शेयर होते हैं। इसका मतलब है कि वो कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक होते हैं। फिर "Board Of Directors" का जिक्र होता है, जो कंपनी को चलाने वाले लोगों का एक समूह होता है। ये लोग कंपनी के बड़े फैसले लेते हैं और उसकी दिशा तय करते हैं, Registered Office वो जगह होती है जहाँ कंपनी का मुख्य कार्यालय होता है। यहाँ से सारे जरूरी कागजात और कामकाज संभाले जाते हैं। इसके बाद "Share Capital" आती है, जो कंपनी के पास मौजूद पैसे की राशि होती है जिसे वो अपने व्यापार में लगाती है। इसके बाद "Annual Compliances" और "Audit" की बात आती है, जिसमें कंपनी को अपनी आमदनी और खर्चों का हिसाब सरकार को देना पड़ता है। हर साल कंपनी "Annual Report" जारी करती है जिसमें उसकी वित्तीय स्थिति और प्रगति का ब्योरा होता है। इनके अलावा, कुछ और शब्द हैं जैसे "Share Certificate" जो शेयरधारकों को दिए जाते हैं ताकि वे अपने शेयरों का सबूत रख सकें। "MOA" वो दस्तावेज होता है जो कंपनी के मकसद और शक्तियों को बताता है। "AOA" में कंपनी के अंदरूनी नियम और प्रक्रियाएं होती हैं। ऐसे सभी शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है, खासकर जब आप व्यापार की दुनिया में नई शुरुआत कर रहे हों। ये शब्द न सिर्फ आपको कानूनी और वित्तीय बारीकियों की समझ देते हैं, बल्कि आपको बेहतर व्यापारिक निर्णय लेने में भी मदद करते हैं

1 Share Capital & Share Certificate

कंपनी की नजर से देखे तो, शेयर कैपिटल वह पैसा होता है जो एक शेयर होल्डर शेयर के बदले कंपनी में डालता है ज्यादातर भारतीय कम्पनीज के शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपये होती है ऐसे में अगर किसी कंपनी की Authorized कैपिटल 1 लाख रुपये है तो वो कंपनी अपने शेयर धारकों को 10 हजार शेयर्स Issue करके पूंजी के रूप में 1 लाख रुपये की शेयर कैपिटल जुटा सकती है इसके पूंजी के बदले में कंपनी अपने शेयर धारकों को शेयर सर्टिफिकेट जारी करती है जिसमे शेयर धारक का नाम, शेयर्स की मात्रा और प्रकार शामिल होते है

2 Director & Shareholders

एक व्यक्ति किसी कंपनी का निदेशक और शेयरहोल्डर दोनों हो सकता है, लेकिन ये दो अलग-अलग भूमिकाएँ होती हैं। निदेशक कंपनी के प्रबंधन और निर्णयों के लिए जिम्मेदार होता है, जिनका काम होता है कंपनी को चलाना, कंपनी के लिए निर्णय लेना, और उसका प्रबंध करना, ये कंपनी की कार्यवाही का संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसके बदले में कंपनी से वेतन पाते हैं जबकि शेयरहोल्डर कंपनी के हिस्सेदार होते हैं और उनका हक कंपनी के लाभ और हानि से जुड़ा होता है।

3 MOA & AOA

MOA (Memorandum of Association) का काम होता है कंपनी के उद्देश्य और स्कोप को बताना, यानी कंपनी का बेसिक मिशन क्या है और वो कैसे काम करेगी। दूसरी ओर, AOA (Articles of Association) कंपनी के आंतरिक नियमों और विधियों का विवरण प्रदान करता है, इसमें कंपनी के निदेशकों, शेयर धारकों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्यों की चर्चा होती है। MOA को बदलने के लिए सरकार की मंजूरी चाहिए, जबकि AOA को शेयर धारकों के बहुमत से बदला जा सकता है।

4 AGM & Board Meetings

AGM (Annual General Meeting) और बोर्ड की मीटिंग दोनों कंपनी के प्रबंधन और संचालन के महत्वपूर्ण आयोजन होते हैं। AGM में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षण की रिपोर्ट, निदेशकों के चयन, और लाभांश का बँटवारा किया जाता है। बोर्ड की मीटिंग कंपनी के निदेशकों के बीच आयोजित की जाती है और इसमें कंपनी के दैनिक प्रबंधन से सम्बंधित निर्णय लिए जाते हैं। AGM एक वार्षिक आयोजन होता है, जबकि बोर्ड की मीटिंग नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती है। हर कंपनी को उसके पंजीकरण की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपनी पहली बोर्ड की मीटिंग मीटिंग करनी होती है, और इसके बाद हर साल कम से कम चार बार अपने बोर्ड की मीटिंग करनी आवश्यक होती है और ये भी जरूरी है कि ऐसी दो मीटिंगों के बीच का समय एक सौ बीस दिन से ज्यादा न हो।

Compliances

अगर समझना है कि Compliances करना कितना खर्चीला हो सकता है? तो बस एक बार Compliances ना करके देखो

भारत में जब कोई निजी सीमित कंपनी खोली जाती है, तो उसे कई तरह के कानूनी और व्यावसायिक नियमों का पालन करना होता है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कंपनी अधिनियम 2013, जो कंपनियों को बताता है कि उन्हें कैसे चलना चाहिए, उनके खाते कैसे रखे जाएं, और उन्हें अपने निदेशकों और शेयरधारकों की जानकारी कैसे साझा करनी होगी। हर साल, कंपनी को अपना वार्षिक रिटर्न और बैलेंस शीट सरकार को दिखानी होती है, ताकि सरकार को पता चले कि कंपनी कितना कमा रही है और कितना खर्च कर रही है। इससे सरकार को यह भी समझ आता है कि कंपनी अपने वित्तीय मामलों में कितनी साफ-सुथरी है। आयकर की बात करें तो, हर कंपनी को अपना टैक्स सही समय पर भरना होता है और अगर उसने किसी को पैसा दिया है तो उस पर टीडीएस कटौती करनी होती है। यह टैक्स की चोरी रोकने में मदद करता है और आर्थिक व्यवस्था को सही रास्ते पर रखता है। फिर आता है जीएसटी, जो एक प्रकार का टैक्स है जो सामान और सेवाओं पर लगता है। इसे कंपनियों को सही समय पर जमा करना होता है, जिससे सरकार को उसकी आमदनी मिलती है और वह उस पैसे का इस्तेमाल देश के विकास के लिए करती है . कंपनियों को श्रम कानूनों का भी पालन करना होता है, जैसे कि कर्मचारियों को सही सैलरी देना, उन्हें छुट्टियाँ देना, और उनके काम के घंटे तय करना। इससे कंपनी के अंदर के माहौल को सुखद और सुरक्षित बनाया जा सकता है आज के डिजिटल युग में, कंपनियों को डेटा सुरक्षा और ऑनलाइन लेनदेन की सुरक्षा का भी ख्याल रखना होता है। यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी और उसके ग्राहकों की जानकारी सुरक्षित रहे और किसी तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सके। इन सभी Compliances को समय पर पूरा करने का मतलब है कि कंपनी न सिर्फ कानूनी रूप से सही चल रही है, बल्कि यह भी कि वह अपने कर्मचारियों, याँ ग्राहकों और समाज के प्रति जिम्मेदारी उठा रही है

1 One Time Compliances

कंपनी का बैंक अकाउंट खोल कर उसमे Subscribed कैपिटल जमा करवाना, कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद 180 दिन के भीतर, कंपनी को अपने व्यवसाय की शुरुआत की घोषणा करने के लिए eForm INC-20A की फाइलिंग करना, कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद पहली बोर्ड मीटिंग करके पहले ऑडिटर की नियुक्ति करना, कंपनी रजिस्ट्रेशन के दो महीने के भीतर शेयर धारकों को शेयर प्रमाणपत्र जारी करना, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर Statutory रजिस्टर रखना।

2 Regular Compliances

निदेशकों की सभाएँ आयोजित करना, सभाओं के मिनट्स तैयार करना, एकाउंटिंग रिकॉर्ड और Statutory रजिस्टर मैंटेन करना, TDS और GST रिटर्न्स जमा करवाना, एडवांस टैक्स जमा करवाना, कर्मचारियों के वेतन से PF & ESI योगदान को काट कर उसमे अपना योगदान जोड़ कर जमा करवाना, साथ ही राज्य के आधार पर, कर्मचारियों के वेतन से प्रोफेशनल टैक्स काटने और जमा करने की आवश्यकता भी हो सकती है।

3 Annual Compliances

वित्तीय वर्ष के समापन के छह महीने के भीतर (आमतौर पर 30 सितंबर तक) एक AGM का आयोजन करना। AGM के दौरान, बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता प्रस्तुत करना और उनको मंजूरी देना, ऑडिटर की नियुक्ति करना शामिल है उसके बाद, कंपनी को अपने वित्तीय लेखा को कंपनियों के रजिस्ट्रार (ROC) को AOC-4 फॉर्म के माध्यम से जमा करवाना। AGM के 60 दिनों के भीतर ROC के साथ वार्षिक रिटर्न (MGT-7) जमा करवाना। कंपनी और डायरेक्टर्स के इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना साथ ही अगर Applicable हो तो GST की Annual Return भी दाखिल करना।

4 Event Compliances

एक कंपनी में कई प्रकार के बदलाव कभी भी हो सकते हैं, जैसे की कभी भी डायरेक्टर या ऑडिटर का बदलाव करने की आवश्यकता पड़ सकती है इसी प्रकार पंजीकृत कार्यालय में बदलाव हो सकता है, कभी भी कंपनी की पूंजी में वृद्धि करनी पड़ सकती है, नए शेयर सर्टिफिकेट जारी करने पड़ सकते हैं, जरूरत पड़ने पर लोन लेना पड़ सकता है और MOA और AOA में भी बदलाव करने पड़ सकतें हैं, कभी कभी कंपनी का नाम बदलने की नौबत भी आ सकती है इन सब बदलावों से सम्बंधित Compliances तभी करने होते हैं जब ये बदलाव होते है।

Change of Name

एक नया नाम, एक नई पहचान, एक नई उम्मीद

भारतीय व्यापारिक जगत में कंपनियों का नाम परिवर्तित होना अक्सर सुनने में आता है. लेकिन, इसके पीछे के कारण क्या होते हैं? सबसे पहला कारण है स्वैच्छिक नाम परिवर्तन। कंपनियां कभी-कभी अपनी आंतरिक योजना और दृष्टिकोण के अनुसार अपने नाम में बदलाव कर सकती हैं. यह बदलाव उनकी नई सोच और नई दिशा को प्रकट करने के लिए भी हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है व्यापारिक गतिविधि में परिवर्तन। जैसे-जैसे कंपनी का बिज़नेस बदलता है उसका नाम भी उस बिज़नेस को दर्शाने के लिए परिवर्तित हो सकता है। आज के डिजिटल युग में, जहां प्रतिस्पर्धा की परिप्रेक्ष्य में ब्रांड पहचान की भूमिका महत्वपूर्ण है, कंपनियां अक्सर अपना नाम बदलती हैं ताकि वे बाजार में अधिक प्रभावी हो सकें। मालिकाना में बदलाव भी एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है. जब एक नई टीम या नया प्रबंधन कंपनी को संचालित करता है, तो वे अक्सर अपनी पहचान और अधिकार को दर्शाने के लिए नाम में बदलाव करते हैं। और अंत में अधिकारिक दृष्टिकोण से, जब अन्य कंपनियां प्राथमिकता का दावा करती हैं या ट्रेडमार्क Dispute होता है, तो ROC के निर्देशानुसार कंपनी को अपना नाम बदलना पड़ता है

1 Process

पहला कदम, निदेशक बोर्ड की बैठक! जैसे हर बड़े निर्णय से पहले घर में परिवार की बैठक होती है, वैसे ही कंपनी में नाम बदलने से पहले बोर्ड बैठता है। फिर आता है RUN आवेदन! नए नाम की Availability चेक करने के लिए। तीसरा कदम, EGM, जो शेयरहोल्डर्स के लिए बुलाई जाती है जैसे घर में हर बड़े निर्णय से पहले सभी सदस्यों की राय ली जाती है, वैसे ही यहां पर भी, जब EGM में सभी अपनी मंजूरी दे देते हैं, तो MGT-14 नामक फॉर्म फाइल किया जाता है और आखिरी कदम, Form INC-24 फाइल करके कंपनी का नाम अधिकृत तरीके से बदल दिया जाता है। जब यह सब हो जाता है, तो ROC नये नाम का फ्रेश सर्टिफिकेट भेजता है।

2 Required Documents

किसी मौजूदा कंपनी के नाम परिवर्तन के लिए आवेदन करने के लिए दो प्रकार के दस्तावेज़ जरूरी हैं। पहले सेट में कंपनी के पास पहले से मौजूद दस्तावेज़ जैसे की वर्तमान COI, MOA & AOA, निदेशक और शेयरहोल्डरों की सूची, अधिकृत निदेशक के डिजिटल हस्ताक्षर। दूसरे सेट में नाम परिवर्तन के लिए तैयार किए गए दस्तावेज़ जैसे की Board & EGM Resolution, EGM Notice & Attendance Sheet, Altered MOA & AOA, Name Approval Letter शामिल हैं।

3 Legal Provision

अधिकांश मामलों में, चाहे कंपनियां नई हों या कुछ समय से मौजूद हों, वे अपने कंपनी के नाम में परिवर्तन के लिए आवेदन करने के योग्य हैं लेकिन यदि कोई कंपनी अपनी वार्षिक रिटर्न, वित्तीय विवरण या किसी अन्य रिपोर्ट या दस्तावेज़ को समय पर पंजीकृत कंपनियों के पंजीयक (ROC) को फाइल नहीं करती है, तो उसे अपने नाम में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसका मतलब है कि एक कंपनी को सुनिश्चित करना होगा कि जब वह नाम परिवर्तन के लिए आवेदन करती है तो उस समय उसके ROC से सम्बंधित सभी Compliances पूरे होने चाहिए।

4 Effect of Name Change

कंपनी का नाम बदलने के बाद उसे ठीक से अपडेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में कानूनी मुश्किल हो सकती है कंपनी के बैंक खाते, PAN & TAN, MOA & AOA और सभी व्यापारिक स्टेशनरी में अपडेट करवाना होगा, साथ ही कंपनी के पास जो भी सरकारी पंजीकरण और लाइसेंस या अनुमतियां हैं वो भी अपडेट करनी होंगी, अगर कंपनी किसी तीसरे पक्ष के साथ किसी समझौते में है, तो उस समझौते को भी अपडेट करना होगा, और हाँ कानूनन आपको दो साल तक अपना पुराना नाम भी नए नाम के साथ लिखना होगा।

Change of Address

नई जगह, नए विचार, नई सफलताए

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 12 कहती है कि जब आप कोई कंपनी शुरू करते हैं, तो आपका एक पता होना चाहिए जहाँ पर सरकार आपसे संपर्क कर सके। ये पता आपको पंजीकरण के समय या फिर पंजीकरण होने के 30 दिन के अंदर बताना होता है। आपकी कंपनी का यही पता सरकार के लिए मुख्य पता माना जाता है। आपकी कंपनी में और भी जगहें हो सकती हैं जैसे मुख्य कार्यालय, शाखा या फिर प्रशासनिक दफ्तर। लेकिन सरकार को सिर्फ वह पता मालुम होना चाहिए जिसे आपने पंजीकृत किया है। अगर आप अपने अन्य दफ्तरों का पता बदलते हैं या नया दफ्तर खोलते हैं, तो जानकारी उसकी सरकार को देने की जरूरत नहीं है। जो पता आपने सरकार को दिया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार इस पते पर ही सभी जानकारियाँ और सूचनाएँ भेजती है। आपकी कंपनी की सारी महत्वपूर्ण फाइलें और कागजात भी इसी पते पर रखे जाते हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जो पता आपने सरकार को दिया है, वह सही हो और अगर कोई बदलाव होता है, तो उसे तुरंत सरकार को बता देना चाहिए अन्यथा भविष्य में आपको कानूनी समस्यायों का सामना करना पड़ सकता है और आपकी कंपनी और डायरेक्टर्स दोनों पर जुर्माना लगाया जा सकता है यहाँ तक की आपकी कंपनी का पंजीयन भी रद्द किया जा सकता है

1 Change in the Registered Office within the same City

किसी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान को उसी शहर, गांव या नगर की स्थानिक सीमा के भीतर बदलने सबसे आसान है जिसके लिए कंपनी को एक बोर्ड की बैठक आयोजित करनी होगी और पंजीकृत कार्यालय को बदलने के लिए एक बोर्ड प्रस्ताव पारित करना होगा, बोर्ड प्रस्ताव पारित होने के पंद्रह दिनों के भीतर ROC में एक फॉर्म INC-22 जमा करना होगा।

2 Change in the Registered Office Address with same ROC and within the State

किसी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता बदलने के लिए, अगर वह पता शहर या नगर की सीमा से बाहर है, लेकिन उसी (ROC) के अधिकार क्षेत्र में है तो पहले कंपनी के बोर्ड की बैठक में EGM बुलाने का प्रस्ताव पारित किया जायेगा, फिर इस EGM में, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता बदलने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा, इसके बाद 30 दिनों के भीतर, कंपनी को फॉर्म INC-22 और MGT-14 जमा करना होगा।

3 Change of address in the same state but different ROC

जब किसी कंपनी को अपने कार्यालय का पता बदलना होता है और वह पता एक ROC से दूसरे ROC में बदलता है, पर वह दोनों उसी राज्य में होते हैं, तो Point-2 में दिए गए प्रोसेस की तरह EGM में, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता बदलने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित हो जाने के 30 दिन के भीतर, कंपनी को दो फॉर्म, INC-23 और MGT-14, पुराने ROC को भेजने होते हैं, ये दो फॉर्म फाइल करने से एक महीने पहले, कंपनी को अख़बार में कार्यालय के पते का बदलाव का विज्ञापन प्रकाशित करना होगा। हर जमाकर्ता और कंपनी के कर्जदार को पूर्व सूचना देनी होगी। कंपनी के श्रमिकों की बकाया राशि अदा करनी होगी, पंजीकृत कार्यालय के बदलाव के परिणामस्वरुप कोई भी कर्मचारी निकाला नहीं गया होना चाहिए, कार्यालय स्थानांतरण के लिए कर्जदारों की सहमति लेनी होगी, अगर पुराने ROC को इसमें कोई समस्या नहीं दिखती है, तो वे कंपनी को एक पत्र भेजते हैं कि सब कुछ ठीक है। फिर, कंपनी इस पत्र की प्रति को नए ROC को 60 दिन में फॉर्म INC-22 भेज कर इस प्रक्रिया को पूरा कर सकती है।

4 Change of address in another state

किसी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए Point-3 में दिए गए प्रोसेस की तरह ही EGM होगी, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता बदलने के लिए विशेष प्रस्ताव के साथ ही MOA में बदलाव के लिए भी विशेष प्रस्ताव पारित किया जायेगा, इसके बाद का प्रोसेस वैसा ही होगा जैसा पिछले पॉइंट में बताया गया है केवल इस परिस्थिति में Additionally केंद्रीय सरकार की अनुमति भी लेनी होगी और इस अनुमति पत्र को फॉर्म INC-28 में दोनों राज्यों के ROC को भी जमा करवाना होगा।

Change of Directors

निदेशक बदलना एक रणनीतिक कदम हो सकता है जो कंपनी की सफलता को नई दिशा दे

निजी सीमित कंपनियों में निदेशकों का परिवर्तन एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके पीछे विभिन्न कारण हो सकते हैं। ये परिवर्तन न केवल कंपनी के संचालन में ताजगी लाते हैं बल्कि अक्सर नई दिशाओं में विकास के अवसर भी खोलते हैं। निदेशकों का चयन और उनका बदलाव कंपनी के भविष्य की दिशा और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहला कारण होता है कंपनी की रणनीतिक पुनर्गठन की आवश्यकता। जब भी किसी कंपनी को अपने व्यावसायिक लक्ष्यो में बदलाव करना होता है या नए बाजारों में प्रवेश करना होता है, तो इसके लिए नए विचारों और नजरिए की जरूरत होती है। ऐसे में, नए निदेशकों को लाना फायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरा कारण है प्रदर्शन में सुधार की जरूरत। अगर कंपनी की प्रगति ठहराव का अनुभव कर रही हो या परिणामों में गिरावट आ रही हो, तो नए निदेशक नई ऊर्जा और कार्यकुशलता ला सकते हैं। वे अपने अनुभव और विशेषज्ञता के साथ कंपनी की कार्यप्रणाली में नवीनता ला सकते हैं। तीसरा कारण किसी संघर्ष का समाधान भी हो सकता है। कभी-कभार, निदेशक मंडल के सदस्यों के बीच वैचारिक मतभेद या संघर्ष हो जाने पर नए निदेशकों का चयन संघर्ष का समाधान और कंपनी की स्थिरता के लिए आवश्यक हो जाता है। एक अन्य कारण है निदेशकों का स्वेच्छा से त्यागपत्र या सेवानिवृत्ति। यह एक आम घटना है जहाँ निदेशक निजी कारणों से सेवानिवृत्ति, या स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पद छोड़ देते हैं। ऐसे में, नए और उत्साही व्यक्तियों को उनके स्थान पर नियुक्त करना जरूरी होता है। निदेशकों के बदलाव का उद्देश्य होता है कंपनी की प्रगति और विकास को सुनिश्चित करना। नए निदेशक अपने नए विचारों, से अनुभवों और दृष्टिकोणों के साथ कंपनी को नई दिशा देने में सक्षम होते हैं। इस तरह, निदेशकों का परिवर्तन न केवल कंपनी के लिए, बल्कि उसके स्टेकहोल्डर्स, कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए भी फायदेमंद होता है

1

Director Appointment

सबसे पहले, बोर्ड मीटिंग में शेयर धारकों की साधारण सभा बुलाने के लिए प्रस्ताव पास किया जाता है जहां निदेशक की नियुक्ति की जा सकती है। प्रस्तावित निदेशक को कंपनी को DIR-2 फॉर्म में अपनी सहमति देनी होती है। हर निदेशक के पास एक निदेशक पहचान संख्या (DIN) और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) होना चाहिए। कंपनी को निदेशक की नियुक्ति के 30 दिनों के अंदर कंपनी रजिस्ट्रार को फॉर्म MGT-14, DIR-2 और DIR12 जमा करवाना होता है।

2

Who Cannot Be Appointed as a Director

जो व्यक्ति अयोग्य घोषित किया गया हो, वह निदेशक के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अयोग्यता के कई कारण हो सकते हैं जैसे की ऐसे व्यक्ति जिन्हें दिवालियापन का सामना करना पड़ रहा हो, ऐसे व्यक्ति जिन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ न हो, ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी अपराध के लिए सजा हो चुकी हो, खासकर अगर वह अपराध बेईमानी या फ्रॉड से संबंधित हो, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने नेकंपनी कानून के अंतर्गत निश्चित किए गए नियमों का उल्लंघन किया हो, जैसे कि कंपनी के खातों का सही तरीके से रखरखाव न करना, ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र भी 21 वर्ष की ना हुई हो।

3

Director Resignation

सबसे पहले, निदेशक को कंपनी को लिखित में अपने इस्तीफे का नोटिस देना होता है वह नोटिस मिलने पर, कंपनी के बोर्ड को इस पर विचार करना होता है। कंपनी को इस इस्तीफे की सूचना रजिस्ट्रार को Form DIR 12 के माध्यम से 30 दिनों के भीतर देनी होती है। इस इस्तीफे की जानकारी कंपनी की अगली सामान्य सभा में निदेशकों की रिपोर्ट में दी जानी चाहिए। निदेशक को भी अपने इस्तीफे के दिन से 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रा र के पास Form DIR-11 दाखिल करना होता है।

4

Removable Of Director

कंपनी के पास एक EGM में साधारण संकल्प पारित करके किसी निदेशक को हटाने का अधिकार है। सबसे पहले, बोर्ड मीटिंग में शेयर धारकों की असाधारण सामान्य सभा (EGM) बुलाने के लिए प्रस्ताव पास किया जाता है यदि EGM में बहुमत से निदेशक को हटाने का संकल्प पारित होता है तो इसकी सूचना रजिस्ट्रार को Form DIR 12 के माध्यम से 30 दिनों के भीतर देनी होती है ऐसा संकल्प पारित होने से पहले, निदेशक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। निदेशक को भी ऐसे संकल्प के पारित होने के दिन से 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार के पास Form DIR-11 दाखिल करना होगा, इसके अलावा अगर कोई निदेशक लगातार 12 महीने तक बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि उसने अपना पद खाली कर दिया है और इसकी सूचना रजिस्ट्रार को Form DIR 12 के माध्यम से 30 दिनों के भीतर दे दी जाएगी।

Change of Objectives

उद्देश्यों में परिवर्तन, नई संभावनाओं की तलाश

जैसे-जैसे आपकी कंपनी बड़ी होती जाती है, वैसे-वैसे आपके दिमाग में नए आइडियाज़ आते जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो सोच के चले थे, वहाँ से कहीं और निकल गए तो बस, जब भी आप अपनी कंपनी के उद्देश्यों में बदलाव करते हैं तो उन्हें ऑफिशियल भी बनाना पड़ता है। इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (MoA) में बदलाव करने की जरूरत पड़ती है कुछ उदाहरण से समझते हैं मान लो की आपकी कंपनी अब नए क्षेत्रों में पाँव पसार रही है, नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ला रही है, तो भाई, उद्देश्य तो बदलने पड़ेंगे। इसके अलावा जब कोई दूसरी कंपनी आपकी कंपनी को खरीद लेती है, तो बहुत कुछ बदल जाता है। ब्रांड तो वही रह सकता है, लेकिन दिशा और सोच बदल जाती है ऐसा होने पर भी उद्देश्य बदल जाते हैं। कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं, जिनकी जरूरत नहीं रहती, या वो फायदेमंद नहीं रहते, तो फिर, ऐसे में उन कामों को छोड़ देना बेहतर होता है. सरकार नीतियों में बदलाव करती रहती हैं. कभी कोई काम कानूनी होता है, फिर वो गैरकानूनी हो जाता है, या सरकार उस पर प्रतिबंध लगा देती है, तो ऐसे में उन कामों को तो छोड़ना ही पड़ता है, ऐसा होने पर भी उद्देश्य बदलने पड़ते हैं, ताकि कानूनी पचड़े से बचा जा सके

1 MOA & AOA

MOA में कंपनी किस तरह का बिजनेस करेगी, उसकी सीमाएं, ऑफिस कहाँ है और शेयर्स की बातें होती हैं। ये बताता है कि कंपनी और बाकी दुनिया के बीच क्या रिश्ता है।वहीं AOA में कंपनी के अंदर के नियम होते हैं, जैसे शेयरधारकों का क्या रोल है, निदेशक कैसे चुने जाएंगे, मीटिंग कैसे होगी, पैसा कैसे बांटा जाएगा, और अंदर की चीजों को कैसे संभाला जाएगा। ये दस्तावेज कंपनी के लिए कानूनी आधार का काम करते हैं।

2 Object Clause in MOA

MOA में एक खास हिस्सा होता है जिसे 'ऑब्जेक्ट क्लॉज' कहते हैं, जो बताता है कि कंपनी क्या काम करेगी। ये कंपनी के लिए दिशा-निर्देश की तरह होता है, जैसे कंपनी कौन से बिजनेस में होगी, और भविष्य में क्या नया कर सकती है। इससे निवेशकों को भी पता चलता है कि कंपनी किन कामों में लगी है। हां, अगर कभी कंपनी को अपना काम बदलना हो, तो इस क्लॉज को भी बदलना पड़ता है।

3 The Process to Amend Object Clause

सबसे पहले कंपनी के निदेशकों की मीटिंग बुलानी होती है जिसमे तय करना होता है कि एक खास बैठक (EGM) बुलाई जाए जिसमें सभी शेयरधारक आएं। फिर इस बैठक में शेयरधारक ये तय करते हैं कि Object Clause में बदलाव करना है या नहीं। अगर 75% शेयरधारक सहमत होते हैं, तो बदलाव का प्रस्ताव पास हो जाता है। इसके बाद कंपनी को यह बदलाव कंपनी रजिस्ट्रार के पास फॉर्म MGT-14 के माध्यम से दर्ज कराना होता है और उनसे मंजूरी लेनी होती है। मंजूरी मिलने के बाद कंपनी के MOA में बदलाव कर दिया जाता है।

4 Documents Required

सबसे पहले, आपको उस बोर्ड मीटिंग की मिनट्स चाहिए जहां इस बदलाव की बात हुई थी, फिर उस खास जनरल मीटिंग (EGM) की मिनट्स जहां शेयरहोल्डर्स ने इस बदलाव को मंजूरी दी थी। इसके अलावा, शेयरहोल्डर्स द्वारा पास किए गए विशेष संकल्प की कॉपी, संशोधित MOA, MGT-14 फॉर्म भी जरूरी होंगे। कभी-कभी डायरेक्टर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर्स का सहमति पत्र और शेयरहोल्डर्स की वर्तमान सूची भी मांगी जा सकती है।

Increase of Authorized capital & Share Transfer

अधिकृत पूंजी में वृद्धि न केवल वित्तीय बल्कि संगठनात्मक संरचना में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती है

जब कोई कंपनी शुरू होती है, तो उसके पास शुरुआती दौर में थोड़े पैसे होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे कंपनी बढ़ती है, उसे और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, खासकर तब जब वह अपने कारोबार को बड़ा करना चाहती है या नए प्रोजेक्ट्स में हाथ आजमाना चाहती है। इसके लिए, शुरुआत में कंपनी बैंकों से कर्ज लेती है, लेकिन लंबे समय के लिए पैसे का जुगाड़ करने के लिए, कंपनी को अपनी 'अधिकृत पूंजी' यानी कि वह अधिकतम रकम जो वो शेयर्स के जरिए इकट्ठा कर सकती है, बढ़ानी पड़ती है। इसके लिए कंपनी को कुछ कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होता है, जैसे कि शेयरधारकों की मीटिंग करना और फिर जरूरी बदलावों को अपने MOA में दर्ज करवाना होता है, फिर इन बदलावों को कंपनी रजिस्ट्रार के पास भी जमा कराना होता है। इसके अलावा, 'Paid-up Capital' भी एक अहम चीज होती है, जो दरअसल वो पैसा है जो शेयरधारकों ने कंपनी में लगाया होता है। इन सब का मकसद होता है कंपनी को ज्यादा शेयर बेचकर ज्यादा पैसा इकट्ठा करने की छूट देना, ताकि वो और बड़ा हो सके और मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। तो, आसान भाषा में कहें तो, यह पूरी प्रक्रिया कंपनी को बढ़ाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होती है। अगर सही तरीके से की जाए, तो यह कंपनी के लिए एक सुनहरा भविष्य बना सकती है

1 Process of Increase of Authorized capital

प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अधिकृत पूंजी बढ़ाने के लिए पहले कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AoA) की जाँच करनी होगी, फिर बोर्ड मीटिंग की सूचना देकर और उसमें इस पर चर्चा करके संकल्प पास किया जायेगा। यदि AoA में संशोधन जरूरी हो, तो असाधारण सामान्य बैठक (EGM) आयोजित की जाएगी जिसमे शेयरधारकों की मंजूरी आवश्यक होगी। इसके बाद, फॉर्म SH-7 भरकर इसे कंपनी रजिस्ट्रार (ROC) के पास जमा करके मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

2 Document Required

निजी लिमिटेड कंपनी की अधिकृत पूंजी बढ़ाने के लिए विभिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिसमें निदेशकों की बैठक के लिए नोटिस, बोर्ड रिजोल्यूशन, आम सभा की सूचना, असाधारण सामान्य सभा का प्रस्ताव, संशोधित MOA और AOA, Form SH7, बोर्ड की बैठक और आम सभा की कार्यवृत्ति, ऑडिटर की रिपोर्ट और प्रमाणित बैलेंस शीट, तथा आवश्यक फीस और charges का भुगतान शामिल है।

3 Share Allotment

सबसे पहले, कंपनी के MOA & AOA के हिसाब से तय होता है कि शेयर कैसे और किसको मिलेंगे। इसके बाद, जो लोग शेयर चाहते हैं, वो अपना आवेदन देते हैं, और फिर कंपनी उन्हें शेयर आवंटित करती है। शेयर मिलने के बाद, हर शेयरधारक को एक प्रमाणपत्र मिलता है, जो ये दर्शाता है कि वो कंपनी के कितने शेयर के मालिक हैं। इसके साथ ही, कंपनी को MCA में भी इस बात की जानकारी देनी होती है कि उन्होंने शेयर कैसे बांटे हैं। आखिर में, जो लोग शेयर लेते हैं, वो उसकी कीमत चुकाते हैं और कंपनी इसका हिसाब-किताब रखती है।

4 Share Transfer

निजी सीमित कंपनी में शेयर ट्रांसफर का मतलब होता है कि जब कंपनी के शेयरों को एक आदमी या संस्था से दूसरे को बेचा या ट्रांसफर किया जाता है। इसके लिए एक Form SH-4 भरना पड़ता है जिसमें बेचने और खरीदने वाले की जानकारी होती है, और साथ ही स्टैम्प ड्यूटी भी देनी पड़ती है जो अलग-अलग जगह पर अलग हो सकती है। फिर इस फॉर्म को कंपनी के बोर्ड के पास भेजा जाता है ताकि वो इसे मंजूरी दे सकें। बोर्ड की मंजूरी के बाद कंपनी के रजिस्टर में नए मालिक का नाम लिखा जाता है और फिर नया शेयर सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।

Windup

समापन सिर्फ एक पड़ाव है, एक समापन नई शुरुआत के लिए

निजी सीमित कंपनियां, जो अपनी मर्जी से बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखती हैं, कभी-कभी मुसीबत में फंसकर 'Windup' की राह पर चल पड़ती हैं। 'Windup' मतलब दुकान समेटो, ताला लगाओ और घर को चलो। क्यों? क्यों कई वजहें हो सकती हैं। पहली बड़ी वजह है खर्चा पानी का हिसाब ना बैठना। अगर कंपनी अपने कर्जे का जुगाड़ नहीं कर पा रही है और बाजार में उसकी नैया डूब रही है, तो 'Windup' का रास्ता ही सही लगता है। दूसरा कई बार बॉस लोग आपस में भिड़ जाते हैं। जिससे कामकाज में रुकावट आती है और कंपनी का चाल-चलन बिगड़ जाता है। तीसरा बाजार में नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और अगर कंपनी पुराने जमाने की गाड़ी चला रही है तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती। कई बार नए नियम-कानूनों के चक्कर में भी कंपनियां उलझ जाती हैं या फिर कंपनी का विलय किसी बड़ी कंपनी में हो जाता है, जिससे उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। जब 'Windup' की बात आती है, तो समझो कि यह कोई आसान काम नहीं है। यहाँ हर एक छोटी-बड़ी चीज का ख्याल रखना पड़ता है। शेयरधारकों, कों कर्मचारियों और ग्राहकों की भावनाओं का भी ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए ऐसे फैसले लेते वक्त गंभीरता से सोच-विचार करना जरूरी होता है। 'Windup' का मतलब सिर्फ दुकान बंद करना नहीं, बल्कि सही से उसके हर पहलू को संभालना भी होता है। इसमें सिर्फ कंपनी का ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े हर इंसान का भविष्य और हित जुड़ा होता है। ऐसे में, इस प्रक्रिया को संजीदगी से लेना और सबके हितों का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है।

1 Voluntary Winding Up

स्वेच्छा से किसी कंपनी को बंद करना, एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है। पहले, कंपनी के शेयरहोल्डर्स या जनरल मीटिंग में एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा कंपनी बंद करने का फैसला करना होता है। इसके बाद, कंपनी के डायरेक्टर्स को Solvency Declaration देना पड़ता है, मतलब यह बताना होता है कि कंपनी अपने सभी कर्ज चुका सकने में सक्षम है। फिर, कंपनी के Trade Creditor की भी मंजूरी लेनी पड़ती है। उसके बाद, Liquidator नियुक्त किया जाता है जो कंपनी के Assets बेचकर, कर्ज चुकाने का काम करता है और अंत में, कंपनी बंद हो जाती है। इसके बाद कंपनी का नाम कुछ समय के लिए किसी और उपयोग करने के लिए मना होता है।

2 Compulsory Winding Up

कंपनी का अनिवार्य समापन तब होता है जब वह किसी धोखाधड़ी या अवैध काम में लिप्त होती है। इसके लिए कंपनी से सम्बंधित कोई भी पक्षकार कोई भी ट्रिब्यूनल या अदालत में याचिका दायर कर सकता है। याचिका मंजूर होने के बाद, Liquidator नियुक्त किया जाता है जो कंपनी की संपत्ति का निष्पादन करता है और उसके खातों की जांच करके रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्ट को Windup कमेटी को दिया जाता है और उसकी मंजूरी के बाद, अंतिम रिपोर्ट ट्रिब्यूनल को सौंपी जाती है। ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद, Liquidator को 30 दिनों के अंदर यह आदेश रजिस्ट्रार को भेजना होता है। अगर रजिस्ट्रार संतुष्ट होता है, तो वह कंपनी का नाम रजिस्टर से हटा देता है और इसकी सूचना आधिकारिक गजट में प्रकाशित की जाती है। यह सब कंपनी अधिनियम 2019 के तहत बनाए गए कंपनी (Windup) नियम 2020 के अनुसार होता है।

3 Fast Track Exit Scheme

भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने 26 दिसंबर 2016 को एक अधिसूचना के जरिए Fast Track Exit (FTE) योजना शुरू की, जिसके तहत बिना सक्रिय व्यापार वाली कंपनियों को कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से नाम हटाने का मौका मिलता है। इस योजना में अनेक प्रकार की कंपनियों जैसे कि सूचीबद्ध कंपनियां, विनियमों का पालन न करने पर सूची से हटाई गई कंपनियां, सरकारी जांच में फंसी कंपनियां, आदि पर यह योजना लागू नहीं होती है। इसके तहत आवेदन करने के लिए शपथ पत्र, इंडेम्निटी बॉन्ड, लेखा-जोखा विवरण, बोर्ड का प्रस्ताव की प्रति और ₹10000 की फीस देनी होती है। इसमें विवादों और सरकारी दावों का भी खुलासा करना पड़ता है, पर सरकारी विभागों से NOC की जरूरत नहीं होती। अंत में, यदि सब कुछ ठीक रहता है, तो रजिस्ट्रार कंपनी का नाम रजिस्टर से हटा देता है और इसका अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित करता है। निदेशकों पर कंपनी के नाम हटने के बाद भी कानूनी दावों और नुकसानों की जिम्मेदारी बनी रहती है।

4 Strike off by MCA

कंपनी रजिस्ट्रार (ROC) द्वारा खुद से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया, जिसे कंपनी एक्ट 2013 के अनुभाग 248(1) के तहत 'Strike off' कहा जाता है, तब होती है जब कंपनी किसी कार्य या व्यापार में दो वित्तीय वर्षों से सक्रिय नहीं होती, या अपने गठन के एक वर्ष के भीतर कारोबार शुरू नहीं करती। इस परिस्थिति में, ROC कंपनी को और उसके निदेशकों को नोटिस भेजता है और 30 दिन के भीतर जरूरी दस्तावेज के साथ जवाब देने को कहता है। इस प्रक्रिया को 'कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा नाम हटाने की अनिवार्य प्रक्रिया' भी कहा जाता है।

Penalties for Non Compliances

S. No.	Event	Form Name	Due Date for Compliance / Reporting	Penalty & Late Fees
1	Declaration of Commencement of Business	INC-20A	Within 180 days from the date of incorporation of the company	***Check Fees & late fees mentioned below** Penalty: Rs. 50,000 to Company & Rs. 1000 per day to every officer in default (Max. 1,00,000 per officer)
2	Notice of situation or change of situation of registered office	INC-22	Within 30 days from the date of incorporation or change	***Check Fees & late fees mentioned below**
3	Conduct first board meeting & Appoint first auditor	ADT-1	Within 30 days from the date of incorporation	Penalty: Rs. 25,000 to company & Rs. 5,000 per officer to every officer in default
4	Notice of deposits	DPT-03	Within 90 days from the closure of financial year	***Check Fees & late fees mentioned below** Penalty: Rs. 5,000 to Company & Rs. 500 per day per officer to every officer in default
5	File form in relation to outstanding dues to MSME along with reason	MSME-1	(Half yearly) For period April to September – 31st October For period October to March – 30th April	No fees, Penalty: Rs. 25,000 to Company & Rs. 25,000 – 3,00,000 or Imprisonment upto 6 months or both to every officer in default
6	Update KYC of directors	DIR-3	on or before 30th September of the	Penalty after due date late fees Rs. 5,000
7	Conduct Annual General Meeting (AGM) every year and Board Meeting	MINUTES OF MEETING TO BE PREPARED	Within 6 months from the end of Financial Year (Except First AGM)	Penalty: Rs. 1,00,000 to company & every officer and if default Continuing then further Rs. 5,000 per day
8	Intimation of Appointment of auditor to ROC	ADT-1	Within 15 days from the date of conduct of AGM	***Check Fees & late fees mentioned below**
9	Filing of financial statements and Directors Report along with Audit Report	AOC-4	Within 30 days from the date of conduct of AGM	Fees upto Rs. 600 and Additional fines of Rs. 100 Per Day for continued failure
10	File Details of Shareholders	MGT-7 or 7A	Within 60 days from the date of conduct of AGM	Fees upto Rs. 600 and Additional fines of Rs. 100 Per Day for continued failure
11	File details of appointment & resignations of directors	DIR-12	Within 30 days	***Check Fees & late fees mentioned below**
12	Income Tax Return	ITR-6	The last date for submitting ITR on the e-filing ITR portal is October 31 every year	A penalty of Rs.5,000 is charged for the delay. However, if the total income is less than Rs.5 lakh, then the fee payable is Rs.1,000
13	TDS Return	24Q/26Q	1. TDS Payment : Seventh day of the next month 2. TDS Return Submission: Within 30 days of the end of each quarter	1. Failure to file your TDS returns within the due date will mean that you will be subject to a late filing fee of Rs.200 per day 2. Interest rate of 1.5% per month will be applicable from the date on which tax was deducted to the date on which it was paid.

NORMAL FEES FOR FORM FILING*

S. no	Authorized Share Capital of the Company	Fees (Rupees)
1	Less than 1,00,000	200
2	1,00,000 to 4,99,999	300
3	5,00,000 to 24,99,999	400
4	25,00,000 to 99,99,999	500
5	1,00,00,000 or more	600

LATE FEES FOR FORM FILING*

S. no.	Delay in filing (No. of Days)	Late Fees
1	Up to 30 days	2 times of normal fees
2	More than 30 days and up to 60 days	4 times of normal fees
3	More than 60 days and up to 90 days	6 times of normal fees
4	More than 90 days and up to 180 days	10 times of normal fees
5	More than 180 days	12 times of normal fees

Our Other Publication

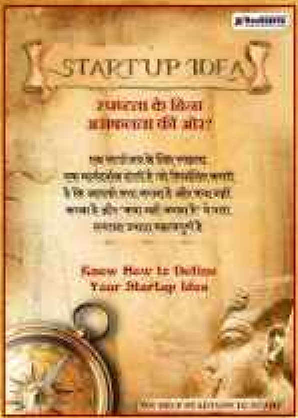

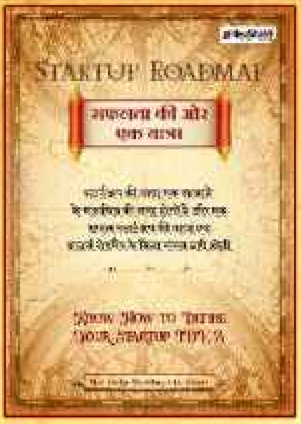

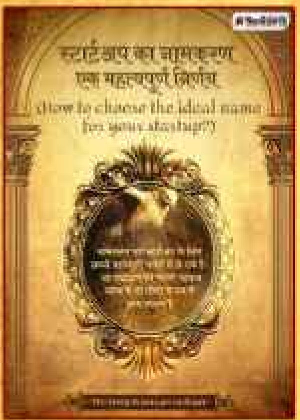

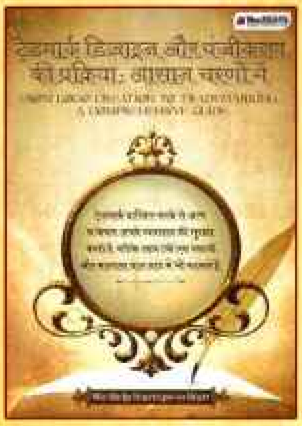

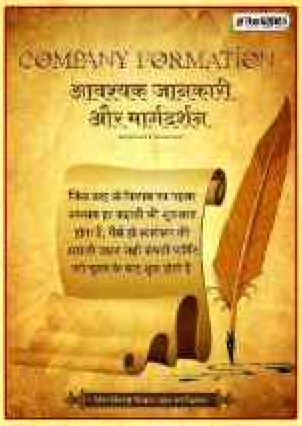

Scan & download this booklet

NEUSOURCE STARTUP MINDS INDIA LIMITED

Corporate Office

B-11, Basement, Shankar Garden, Vikaspuri
New Delhi-110018 (India)
Email: Info@neusourcestartup.com
Website: www.neusourcestartup.com
Contact:- +91-7305145145, +91-11-46061463
Branches:- Delhi, Kolkata, Lucknow, Bangalore, Jaipur